(8)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

प्रकरण क्रमांक R. 1155-तीन/14

श्री ...
द्वारा ...
प्रस्तुत

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

रमेश रैकवार तनय स्वं. रामसजीवन रैकवार उम्र - 48 वर्ष - पेशा मजदूरी निवासी संजय नगर समान, तहसील हुजूर जिला, रीवा म.प्र.------निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम.

सन्तोष रैकवार तनय स्वं रामसजीवन रैकवार निवासी उर्रहट तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.।

------------ गैरनिगरानीकर्ता/अना.

निगरानी विरूद्ध आदेश विद्वान तहसीलदार तहसील हुजूर, जिला रीवा म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 22/अ-70/13-14 आदेश दिनांक 28-02-14

निगरानी अंतर्गत धारा - 50 म.प्र. भू.-राजस्व संहिता 1959 ई.।

18/3/14

रामानुज द्विवेदी
एडवोकेट
10/3/14

R. 1155-नि/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
7-4-2014	यह निगरानी तहसीलदार हुजूर व्दारा प्रकरण कमांक 22/अ-10/13-14 में पारित आदेश दिनांक 28-2-14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 28-2-14 का अवलोकन किया गया। 3/ तहसीलदार हुजूर के आदेश दिनांक 28/2/14 के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक व्दारा अनावेदक की आराजी कमांक 94/31 के अंशभाग 0.10 पर अतिकमण किया है एंव तहसीलदार ने म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आदेश पारित कर आवेदक को अतिकमण की गई भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये हैं जिसके कारण तहसीलदार का आदेश अंतिम आदेश है जो अपील योग्य होने से निगरानी अग्राह्य है अतः अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें। सदस्य	